प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बंधित है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कम्पनियों में निर्णित होने वाली कम्पनियां भी सम्मिलित हैं) के लेखों की कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 के प्रावधानों के अन्तगर्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है।

सरकारी कम्पनी अथवा निगम से सम्बंधित लेखों से सम्बंधित प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के प्रावधानों के अन्तर्गत विधान सभा के समक्ष नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत करने होते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बंध में, जो एक सांविधिक निगम है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमेव लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के सम्बंध में उसे निगम द्वारा चयनित सनदी लेखाकारों द्वारा संचालित की जाने वाली लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के सम्बंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमेव लेखापरीक्षक है। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पृथक रूप से राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित उदाहरण वे हैं जो वर्ष 2013-14 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए और इसके साथ-साथ वे हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे, जहां कहीं अनिवार्य है 2013-14 से तद्नन्तर अवधि से सम्बंधित मामले भी सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।